न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 28/2022

प्रार्थी

रूपचंद पुत्र भबुतमलजी, जाति कुम्हार, निवासी– नया जोयला, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र भबुतमलजी, जाति– कुम्हार, निवासी– नया जोयला, तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही, हाल RR Residency, C-Wing, Block No. 505, 684, Kasar Alley, Bhiwandi, Maharastra – 421308
2. ग्राम पंचायत, जोयला जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, जोयला, तहसील– शिवगंज

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) कानाराम की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 02 अप्रेल, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा अप्रार्थी कानाराम पुत्र भबुतमल जी कुम्हार, निवासी– जोयला के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 16.10.2016 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) कानाराम की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) कानाराम की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस को तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 28.03.2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी कानाराम सगे भाई है। प्रार्थी व अप्रार्थी कानाराम व आईदानराम, भबुतमलजी के पुत्रगण व वारिसान है। ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा अप्रार्थी कानाराम के नाम से जारी उक्त प्रश्नगत पट्टे वाली सम्पत्ति प्रार्थी के पिताजी भबुतमलजी की पुश्तैनी सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पिता भबुतमलजी व उनके भाईयों भलारामजी व जसारामजी के मध्य हुए परिवारिक विभाजन में प्रार्थी के पिता के हिस्से व बंट में आई है, तब से भबुतमलजी उक्त सम्पत्ति पर बतौर मालिक काबिज रहे है और उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। भबुतमलजी ने उक्त भूखण्ड पर करीब 14–15 वर्ष पूर्व दुकानों का निर्माण भी करवाया था। भबुतमलजी का वर्ष 2014 में स्वर्गवास हो चुका है। भबुतमलजी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी सम्पत्ति पर उनके तीनों पुत्र प्रार्थी रूपचन्द, अप्रार्थी कानाराम व आईदानराम का समान रुप से हक अधिकार है एवं तीनों पुत्र उक्त सम्पति पर बतौर मालिक काबिज है। जिससे उक्त सम्पत्ति का पट्टा अकेले अप्रार्थी कानाराम के नाम से कानुनन जारी नही किया जा सकता है, परन्तु अप्रार्थी कानाराम व

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ग्राम पंचायत, जोयला के तत्कालीन पदाधिकारियों ने आपराधिक षडयंत्र रचकर यह जानते हुए कि उक्त सम्पत्ति में प्रार्थी व आईदानराम का भी हक हिस्सा है फिर भी प्रार्थी व उसके भाई आईदानराम को उनके वैध हक अधिकारों से वंचित करने की नियत से व अप्रार्थी कानाराम को सदोष लाभ पहुंचाने की नियत से ग्राम पंचायत, जोयला ने अप्रार्थी कानाराम के नाम पुश्तैनी संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति का पट्टा संख्या 64 जारी किया है जो खारिज किए जाने काबिल है। ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्र्तगत पुराने गृहों का विनियमितीकरण करते हुए जारी किया गया है, जबकि प्रश्नगत सम्पत्ति पर अप्रार्थी कानाराम या उनके वारिसान का कभी भी आवास नहीं रहा है तथा न ही वर्तमान में आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। उक्त सम्पत्ति की लम्बाई चौडाई 43 फीट गुणा 11.5 फीट है और कुल क्षेत्रफल 494.5 वर्गफीट है, जिस पर दुकान बनी हुई है। अप्रार्थी कानाराम का इस भूखण्ड पर कोई रहवासीय मकान भी बना हुआ नहीं है और न ही वर्तमान में या पूर्व में कभी निवासरत रहा है, जबकि अप्रार्थी कानाराम का निवास ग्राम में अन्यत्र जगह है तथा अप्रार्थी कानाराम भिवण्डी (महाराष्ट्र) में कारोबार करता है। उक्त प्रश्नगत पट्टे वाली जगह वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। उक्त सभी तथ्यों पर गौर नहीं कर उन्हे नजर अंदाज कर ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा अप्रार्थी कानाराम के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है वह विधि विरुद्ध है। प्रार्थी व उसका भाई आईदानराम भिवण्डी (महाराष्ट्र) व्यापार करते है तथा वादग्रस्त सम्पत्ति में अप्रार्थी कानाराम का केवल 1/3 हक हिस्सा ही आता है परन्तु उसने गलत रूप से ग्राम पंचायत, जोयला से पट्टा प्राप्त किया है। अप्रार्थी कानाराम को संयुक्त स्वामित्व की अविभाजित पुश्तैनी सम्पत्ति का पट्टा अकेले के नाम बनवाने का कोई हक अधिकार नहीं है तथा ऐसा दस्तावेज विधि में शुन्य व अकृत है तथा इस पट्टे के आधार पर अप्रार्थी कानाराम को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होता है। ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा अप्रार्थी कानाराम के पक्ष में उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 64 जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियमों की भी पूर्ण पालना नहीं की गई है तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा उक्त प्रश्नगत पट्टा अप्रार्थी कानाराम के पक्ष में जारी करने से पूर्व कोई आपत्ति नोटिस भी नहीं निकाले तथा न ही प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर दिया है। प्रार्थी को उक्त प्रश्नगत पट्टे की जानकारी यह निगरानी आवेदन पेश करने से पूर्व गांव आने पर अन्य लोगो द्वारा बताने पर प्रार्थी ने उक्त पट्टे की नकल प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने पर सर्वप्रथम उक्त प्रश्नगत पट्टे की जानकारी होने से यह निगरानी पेश करने का कारण पैदा हुआ है। यदि उक्त पट्टे को निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थी अपने हक हिस्से आई वैध, स्वामित्व व कब्जे की भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेंगा। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा अप्रार्थी कानाराम के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्र्तगत जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 16.10.2019 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या– 1 (एक) कानाराम के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने अप्रार्थी कानाराम के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी कानाराम एवं आईदानराम, स्वर्गीय श्री भबूतमलजी के वारिसान एवं उत्तराधिकारी है, लेकिन उक्त वारिसान के अलावा भबूतमलजी के तीन पुत्रियां ओटीबाई, मंछीबेन तथा रम्बादेवी भी वारिसान है। वादग्रस्त सम्पत्ति पुश्तैनी नही है। ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा अप्रार्थी कानाराम के हक में विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैद्यता नहीं है। उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 64 की सम्पत्ति पर आवासीय मकान बना हुआ है, जो अप्रार्थी कानाराम द्वारा बनाया गया है। उक्त सम्पत्ति के आगे के भाग में अप्रार्थी कानाराम द्वारा दुकान का निर्माण

.......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

कार्य करवाया गया है। उक्त प्रश्नगत पट्टा की सम्पति अप्रार्थी कानाराम के स्वामित्व कब्जे अधिकार की हैं। उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति भूखण्ड नहीं होकर उस पर उस पर अप्रार्थी कानाराम द्वारा पुराना निर्माण कार्य करवाया हुआ है, जिसमें प्रार्थी या प्रार्थी के अन्य भाईयों का कोई हक अधिकार या कब्जा नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति अप्रार्थी कानाराम के स्वामित्व व कब्जे की है, जिसमें अप्रार्थी कानाराम का आवास होकर उसमें आगे के भाग में बनी दुकान में अप्रार्थी कानाराम ने व्यवसाय किया है। अभी कुछ समय से अप्रार्थी कानाराम अवश्य ही भिवण्डी (महाराष्ट्र) में अपना व्यवसाय कर रहा है। उक्त प्रश्नगत पट्‌टा की भूमि व्यवसायिक भूमि नही है। ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा अप्रार्थी कानाराम के हक में पट्‌टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियमों के प्रावधानों व प्रक्रियों की पालना करते हुए विधि अनुसार जारी किया है, जिसमें कोई अनियमितता नही बरती है। वादग्रस्त सम्पत्ति अप्रार्थी कानाराम के पुराने कब्जे भोगवटे की होने तथा उस पर अप्रार्थी कानाराम द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से निर्माण कार्य करवाए जाने से अप्रार्थी कानाराम के हक में ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है, जिससे प्रार्थी का निगरानी आवेदन कानुनन परिपोषणीय नही है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रार्थी या अन्य भाई बहनों का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी ने अन्य भाई तथा बहनों को इसमें पक्षकार नहीं बनाया है, जिसके कारण भी निगरानी आवेदन खाारिज योग्य है। उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 64 की सम्पत्ति के सामने भबुतमलजी का आवासीय मकान है, जिसका नाप 38 फीट x 60 फीट है, जो आदाराम उर्फ आईदानराम व अप्रार्थी कानाराम के हिस्से में आया तथा महादेवजी की गली में स्थित आवासीय मकान प्रार्थी के हिस्से में आया, जिसका नाप 30 फीट x 70 फीट है, जिसमें प्रार्थी रूपचंद अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। इस प्रकार से भबुतमलजी के स्वामित्व की समस्त सम्पत्तियों का विभाजन हो चुका है, उसके बावजूद भी प्रार्थी ने अप्रार्थी कानाराम को परेशान करने व उसके हक हिस्से की सम्पति को हडपने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा अप्रार्थी कानाराम पुत्र भबुतमल जी कुम्हार, निवासी— जोयला के पक्ष में पंचायत के संकल्प संख्या 01 दिनांक 05—6—2019 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 494.5 वर्गफीट भूमि का पट्‌टा संख्या 64 दिनांक 16.10.2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृहों के विनियमितिकरण करने का प्रावधान है।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि ''प्रार्थी व अप्रार्थी कानाराम व आईदानराम, भबुतमलजी के पुत्रगण व वारिसान है। ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा अप्रार्थी कानाराम के नाम से जारी उक्त प्रश्नगत पट्टे वाली सम्पत्ति प्रार्थी के पिताजी भबुतमलजी की पुश्तैनी सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पिता भबुतमलजी व उनके भाईयों भलारामजी व जसारामजी के मध्य हुए परिवारिक विभाजन में प्रार्थी के पिता के हिस्से व बंट में आई है, तब से भबुतमलजी उक्त सम्पत्ति पर बतौर मालिक काबिज रहे है और उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। भबुतमलजी ने उक्त भूखण्ड पर करीब 14—15 वर्ष पूर्व दुकानों का निर्माण भी करवाया था। भबुतमलजी का वर्ष 2014 में स्वर्गवास हो चुका है। भबुतमलजी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त सम्पति पर उनके तीनों पुत्र प्रार्थी रूपचन्द, अप्रार्थी कानाराम व आईदानराम का समान रुप से हक अधिकार है तथा तीनों पुत्र उक्त सम्पति पर बतौर मालिक काबिज है, जिससे उक्त सम्पत्ति का पट्टा अकेले अप्रार्थी कानाराम के नाम से कानुनन जारी नही किया जा

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

सकता है।'' लेकिन प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित उक्त कथनों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, जोयला द्वारा अप्रार्थी कानाराम के पक्ष में जिस आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 64 दिनांक 16.10.2019 को जारी किया गया है, वह आवासीय भूमि, प्रार्थी व अप्रार्थी कानाराम व उसके भाई आईदानराम के संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी हो एवं इस सम्पति का आपस में बंटवाड नही हुआ हो। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी कानाराम की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी कानाराम व उसके भाई आईदानराम के अलावा उक्त भबुतमल जी के तीन पुत्रियां भी है, जिनको प्रार्थी ने इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रश्नगत पट्टे की सम्पति के संबंध में प्रार्थी के भाई आईदानराम व उनकी बहनों द्वारा कोई आपत्ति की गई है। अप्रार्थी कानाराम के जवाब में अंकित अनुसार उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 64 की सम्पति के सामने भबुतमल जी का आवासीय मकान है, जिसका नाप 38 फीट x 60 फीट है जो आदाराम उर्फ आईदानराम व अप्रार्थी कानाराम के हिस्से में आया है तथा महादेवजी की गली में स्थित आवासीय मकान प्रार्थी के हिस्से में आया है, जिसका नाप 30 फीट x 70 फीट है।

प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मौके उक्त आवासीय भूमि के आगे के एक भाग में कॉर्नर साईड की ओर दुकान संचालित है, परन्तु इससे यह तथ्य प्रमाणित नही होता है कि उक्त प्रश्नगत पट्टे की सम्पूर्ण भूमि का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा हो अथवा वर्तमान में भी उक्त दुकान मौके पर संचालित हो रही हो। जबकि प्रार्थी स्वयं के निगरानी आवेदन में यह कथन किया है कि ''अप्रार्थी कानाराम, भिवण्डी (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करता है।'' यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि को संयुक्त स्वामित्व की अविभाजित पुश्तैनी सम्पति होने का कथन किया है, जबकि अप्रार्थी कानाराम के जवाब में अंकित कथन के अनुसार, प्रार्थी व अप्रार्थी कानाराम के पिता भबुतमल जी के मकान व सम्पति का प्रार्थी व अप्रार्थी कानाराम व उनके भाई आईदानराम के बीच में आपस में बंटवाड हो चुका है। इस प्रकार, प्रकरण में मुख्यतः विवाद सम्पति के स्वामित्व का है एवं सम्पति के स्वामित्व के बिन्दु को तय करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है, लेकिन प्रार्थी निगरानी, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02 अप्रेल, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही